

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2024/130463/HTR/HATHRAS/687/CFD

दिनांक : 06-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट नं. SHRI BALWANT SINGH PUBLIC SCHOOL पता KHASRA NO-495, VILL- SALEMPUR, HATHRAS - SIKANDRA RAO ROAD, HATHRAS तहसील - SASNI जलत पट्टा 8100 sq.mt (कर्ममीटर), कुल कवर्ड एरिया 3713.50 (वर्ग मीटर), अर्थात् की संख्या - 1 जिला -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	सेगमेंट की संख्या	ऊँचाई
SHRI BALWANT SINGH PUBLIC SCHOOL	2	0	7.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SHRI BALWANT SINGH PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निरोधक एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एम0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 10-09-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री NARENDR KUMAR के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रकृत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-09-2024 से 12-09-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए किगारोशल बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SHRI BALWANT SINGH PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित संभावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SHRI BALWANT SINGH PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

**Note :** निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के अनु सार यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है प्रत्येक माह फायर mock drill, स्टाफ की फायर ट्रेनिंग एवं फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा। विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा। उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये

**यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।**



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(द्विजित रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Kumar Bajpal

7D4890C7587CA59DE530EAA2688B672ADC23068

12-09-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-09-2024

स्थान : HATHRAS

Note: Kindly check the authentication of NDC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

